

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : दो आदमी साथ नहीं हैं (व्यवधान) अकेले बातें करते हैं ।

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : May I make an appeal to the members that, instead of discussing as to whose responsibility it is to maintain quorum, we get on with the subject under discussion.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : हमारा सङ्केत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को आपकी नालिज में ला रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस का जवाब दें ।

MR. CHAIRMAN : He must have some regard for the dignity and decorum of the House. This is an august body. He must behave properly.

डा० राम सुभग सिंह : गुप्त जी ने जैसा कहा, इस बात को मैं मानता हूँ कि सरकारी कार्यक्रम जो भी हो उस में कोरम रखने का दायित्व हम लोगों का है, लेकिन इस सारे सदन का भी दायित्व है और जनसंघ का भी उतना ही दायित्व होना चाहिये । मैं इस सदन के सभी सदस्यों से, सभी दलों से निवेदन करूँगा कि वे अपने अनुपात में जरूर अपने सदस्यों को यहां पर रखने का प्रयास करें । जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, उस में तनिक भी कमी नहीं पायेंगे और जो अपने दायित्व से चुकते हैं और खास कर इस वक्त भी, इस समय भी, उस के लिये गुप्त जी को सजा होनी चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम सजा लेने के लिये तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो डाक्टर साहब को सजा लेनी चाहिये । इस में मेनली सरकार की जिम्मेदारी है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आप अकेले सबा लाख बैठे हो जनसंघ की तरफ से ।

सभापति महोदय : बहुत बातें हो गई हैं ; अब बैठिये ।

एक दफा इस हाउस में पहले भी आ चुका है कि जब हाफ-एन-आवर डिस्कशन होता है, कोरम कम हो जाता है । इसलिये जहां मिनिस्टर आफ पार्लियामेन्टरी अफेयर्स का फर्ज है कि कोरम रखें, वहां मुझे अफसोस है कि इस तरफ की सीटें भी खाली पड़ी हैं । इस लिए हर एक पार्टी का फर्ज है, उनके व्हिप्स का फर्ज है ; कि वे अपने मेम्बरो को यहां हाजिर रखें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेनली जिम्मेदारी किस की है ।

सभापति महोदय : अपोजीशन पार्टीज की भी जिम्मेदारी है ।

18.34 hrs.

MOTION RE PARADIP PORT TRUST RULES

SHRI KANWAR LAL GUPTA : (Delhi Sadar) : You are the Chairman and not a member of the Congress Party.

MR. CHAIRMAN : I object to that. I am speaking as the Chairman. It is the duty of all the whips of the Parties to keep the members present. (Interruption). My ruling is that it is the duty of all the whips in this House to keep the members present. (Interruptions)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :

"This House resolves that in pursuance of sub-section (3) of section 122

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : There is no quorum in this House.

SHRI SRINIBAS MISRA : " of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 the following modifications be made in the Paradip Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1967, published in the Gazette of India by

Notification No. GSR 1669, dated the 31st October, 1967, and laid on the Table.....”

SHRI SHEO NARAIN : There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN : Shri Srinibas Misra may just wait for a minute. I would very much like that there should be no objection raised about the quorum. But when once it is raised it is very difficult. I have no option but to have the bells rung.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : We regret very much that this kind of

thing should happen. So, we would like to walk out in protest.

(*Shri S. S. Kothari left the House*)

MR. CHAIRMAN : Let the bells be rung—

There is no quorum. I am very sorry. There is no alternative but to adjourn the House.

18.38 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on December 21, 1967/ Agrahayana 30, 1889 (Saka).